श्री कुलदीप नारायण, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 14.07.12 को समाहरणालय सभाकक्ष में सम्पन्न विकास समन्वय समिति की मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति -

1. श्री कुलदीप नारायण, जिला पदाधिकारी, मुंगेर।
2. श्री विपिन कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त, मुंगेर।
3. श्री अजय कुमार झा, निदेशक, एन0ई0पी0, मुंगेर।
4. श्री मिथिलेश साहू, उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर।
5. डॉ0 आजाद शहाबुद्दीन, व0उ0समा0, मुंगेर।
6. श्री अजय कुमार तिवारी, व0उ0समा0, मुंगेर।
7. श्री राजेश कुमार, व0उ0समा0, मुंगेर।
8. श्री महेश कुमार दास, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर।
9. श्री कौशलेन्द्र कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर।
10. मो0 सलीम अख्तर, अनुमंडल पदाधिकारी, खड़गपुर।
11. श्रीमती मीना सिन्हा, जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर।
12. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल-1, मुंगेर।
13. कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मुंगेर।
14. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुंगेर जिला।

दिनांक 28.07.12 को निर्धारित इंदिरा आवास मेगा शिविर के सफल आयोजन एंव अन्य विकासपरक योजनाओं की प्रगति में इजाफा करने हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को योजनावार निम्नलिखित निदेश दिये गये :-

<u>इंदिरा आवास :-</u>

- जिले के प्रत्येक प्रखंड में इंदिरा आवास के मेगा शिविर हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 28.07.12 की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि पंचायत सचिव, विकास मित्र एवं हल्का कर्मचारी की टीम गठित कर पूर्व में सम्पन्न महादलित सर्वेक्षण के दौरान तैयार महादलित सूची, बी0पी0एल0 सूची एवं मतदाता पहचान पत्र अथवा सुविधानुसार जनगणना, 2011 की ए0एच0एल0 से मिलान कर छूटे हुए बी0पी0एल0 परिवारों का नाम जोड़ने की कार्रवाई करेंगे। इसके लिए विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के टोले का सर्वे कर एक सूची तैयार करें कि जो परिवार कच्चे या फूस के मकान में निवास करते हैं और उनका नाम बी0पी0एल0 सूची में नहीं है। तत्पश्चात् वैसे परिवारों का नाम सूची में जोड़ने की कार्रवाई करने के कम में यह अवश्य सुनिश्चित किया जाये कि क्या वास्तव में उन्हें पूर्व में इंदिरा आवास मिला नहीं मिला है तथा क्या वे वास्तव में इंदिरा आवास पाने के योग्य हैं।
- समीक्षा के दौरान यह परिलक्षित होने पर कि धरहरा प्रखंड के दो पंचायत यथा- औड़ाबगीचा एवं महरना के चयनित इंदिरा आवास लाभार्थियों को इंदिरा आवास हेतु राशि उपावंटित कर नहीं भेजा गया है। इस निमित्त निदेश दिया गया कि अविलम्ब यथापर्याप्त राशि आवंटित की जाये।

निर्वाचन :-

- विदित हो कि सभी बी0एल0ओ0 का ID विभाग द्वारा बनाया जाना है, इस निमित्त सभी बी0एल0ओ0 की अद्यतन जानकारी सहित सूची जिसमें मोबाईल संख्या अवश्य अंकित हो, तैयार कर यथाशीघ्र निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराया जाये।
- निर्वाचन समयावधि के दौरान शेष बचे डी0सी बिल विपत्रवार तैयार कर निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

मनरेगा :-

- पूर्व बैठक में दिये गये निदेश के आलोक में यह स्पष्ट होना खेदजनक है कि वैसे पंचायत सचिवों से पूछे गये स्पष्ठीकरण का जवाब अबतक प्राप्त नहीं हुआ है जिन्होंने अपने पंचायतों में मनरेगा योजनान्तर्गत अभी तक उपलब्ध राशि के विरूद्ध कोई व्यय नहीं किया है। अतएव अंतिम चेतावनी देते हुए स्पष्ट निदेश दिया जाता है कि यथाशीघ्र पूछे गये स्पष्टीकरण का तर्कसंगत एवं यथोचित उत्तर एक सप्ताह के अन्दर समर्पित करना सुनिश्चित करें अन्यथा यह माना जायेगा कि उन्हें अपने कर्त्तव्य के निर्वहन में कोई दिलचस्पी नहीं है एवं इस लापरवाही के ध्यानरत् उनके विरूद्ध प्रशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जायेगी।
- धरहरा प्रखंड में data entry की धीमी प्रगति के प्रश्न पर प्रोग्राम पदाधिकारी, धरहरा द्वारा अवगत् कराया गया कि काफी दिनों से तकनीकी परेशानी के कारण प्रविष्टि नहीं हो पा रही है। उक्त परेशानी के मद्देनजर निदेश दिया गया कि जिन प्रखंडों को data entry में तकनीकी परेशानी हो रही है, उन प्रखंडों के संबंधित अनुमंडल में प्रविष्टि का कार्य कराया जाये, अर्थात् धरहरा प्रखंड में हो रही परेशानी के निमित्त प्रविष्टि का कार्य जिला मुख्यालय में करायी जाये।
- सभी कार्यक्रम पदाधिकारी यह विस्तृत प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर समर्पित करेंगे कि किन-किन पंचायत रोजगार सेवक/मुखिया द्वारा मनरेगा योजना के कार्यो में दिलचस्पी नहीं लिया जा रहा हैं। ताकि उनके विरूद्ध यथासमय कठोरतम कार्रवाई की जा सके।

MIR :-

- समीक्षा के दौरान यह ज्ञात होने पर कि कार्यक्रम पदाधिकारी, संग्रामपुर द्वारा योजनाओं से संबंधित MIR प्रतिवेदन (Mobile Inspection Report) नहीं भेजा जा रहा है, पर काफी क्षोभ प्रकट करते हुए कार्यक्रम पदाधिकारी, संग्रामपुर को निदेश दिया गया कि वे लिखित प्रतिवेदन 24 घंटे के अन्दर समर्पित करेंगे कि किन-किन तिथियों को उनके द्वारा MIR प्रतिवेदन नहीं भेजा जा सका है। उप विकास आयुक्त, मुंगेर को निदेश दिया गया कि जिस तिथि को जिन कार्यक्रम पदाधिकारियों द्वारा MIR रिपोर्ट नहीं भेजा जाता है उनका उस दिवस का वेतन निश्चित रूप से काटा जाये।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना :-

- समीक्षा के दौरान पाया गया कि किसी भी प्रखंड से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, अतः निदेश दिया गया कि अविलम्ब उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय को उपलब्ध कराया जाये।

आपूर्त्ति :-

- यह तथ्य प्रकाश में आने पर कि कुछ कूपन वितरण के समय गायब हैं, के निमित्त अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि गायब कूपनों की संख्या अंकित करते हुए रद्द करने की कार्रवाई की जाये। यदि भविष्य में गायब कूपन किसी व्यक्ति द्वारा समर्पित किया जाता है तो पूरी जांच-पड़ताल करते हुए संबंधित दोषी व्यक्ति के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जाये।
- यह संज्ञान में आने पर कि विगत वित्तीय वर्षों के कई अनुपयोगी कूपन अनुमंडल कार्यालय में संधारित है, के संबंध में निदेशित किया गया कि उक्त कूपनों का इनभेन्टरी तैयार कर Coupon audit हेतु तैयारी की जाये। इसके अतिरिक्त वर्तमान अवधि में शेष कूपनों और पंजियों को अनुमंडल कार्यालय में संधारित करने हेतु विशेष अभियान चलाया जाये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किन व्यक्तियों के कूपन कार्यालय में शेष हैं।

तत्पश्चात् धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह० 11/08/12

(कुलदीप नारायण)
जिला पदाधिकारी
मुंगेर।

ज्ञापांक....144..../विकास, दिनांक....13/08/12....

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, मुंगेर/निदेशक, एन0ई0पी0, मुंगेर/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी प्रखंडों के नामित वरीय उपसमाहर्त्ता प्रभारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुंगेर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर/जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 11/08/12

(कुलदीप नारायण)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक....144..../विकास, दिनांक....13/08/12....

प्रतिलिपि : आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह० 11/08/12

(कुलदीप नारायण)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।